न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 39 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. भोमाराम पुत्र कानाराम जाति जाटउम्र 47 वर्ष निवासी सोयलों की ढाणी, खोखसर तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर।	बनाम	1.मूलाराम पुत्र कानाराम उम्र 73 वर्ष 2.उदाराम पुत्र कानाराम उम्र 52 वर्ष 3.पुखराज पुत्र रावताराम उम्र 21 वर्ष 4.अचलाराम पुत्र रावताराम उम्र 19 वर्ष 5.मैथीदेवी पत्नी रावताराम उम्र 48 वर्ष 6.पेमाराम पुत्र सोनाराम उम्र 53 वर्ष 7.खमादेवी पत्नी भैराराम उम्र 50 वर्ष 8.भीयाराम पुत्र मानाराम उम्र 51 वर्ष 9.गोरखाराम पुत्र पदमाराम उम्र 41 वर्ष 10.भगाराम पुत्र पदमाराम उम्र 38 वर्ष 11.अचलाराम पुत्र पदमाराम उम्र 35 वर्ष 12.पुरखाराम पुत्र पदमाराम उम्र 32 वर्ष 13.हुकमाराम पुत्र पदमाराम उम्र 31 वर्ष 14.भंवराराम पुत्र पदमाराम उम्र 28 वर्ष 15.सजियों पत्नी पदमाराम उम्र 62 वर्ष 16.सवाई पुत्र विरधाराम उम्र 44 वर्ष 17.बाबू पुत्र नगाराम उम्र 40 वर्ष 18.हीराराम पुत्र नगाराम उम्र 37 वर्ष 19.हेमाराम पुत्र नगाराम उम्र 33 वर्ष 20.पैलादराम पुत्र गेनाराम उम्र 40 वर्ष जाति जाट निवासी खोखसर तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर। 21.तहसीलदार गिड़ा।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 100 / 2003 बअनवान मूला वगैरा बनाम पेमा वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.10.2003 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री प्रेम प्रजापत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री खैताराम सैन रेस्पोडेंट संख्या 03 से 15, 17 से 20 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 21.10.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 ने अपीलांट को बिना जानकारी दिये अपीलांट को साथ वाद रखते हुऐ एक राजस्व वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय मे इस आशय का पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि मौजा खोखसर दक्षिण में खसरा संख्या 1563 रकबा 06.08 बीघा, खसरा संख्या 1676 रकबा 100.03 बीघा, खसरा संख्या 1671 रकबा 01.02 बीघा, खसरा संख्या 1672 रकबा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 1673 रकबा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 1674 रकबा 03 बिस्वा व मौजा खोखसर पूर्व में खसरा संख्या 1263 रकबा 150.05 बीघा, खसरा संख्या 1264 रकबा 172.16 बीघा, खसरा संख्या 1563/2 रकबा 59 बीघा, खसरा संख्या 1565 रकबा 129.14 बीघा, खसरा संख्या 1673 रकबा 79.12 बीघा व खसरा संख्या 1562 रकबा 16 बिस्वा का आया हुआ है जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा तथा 2/3 हिस्सा प्रतिवादीगण के खातेदारी है तथा इसी अनुसार मौके पर बाहामी रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है तथा मौके पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी मूला व प्रतिवादी पेमा ने आपस में दुरभिसंधि कर प्राथमिक डिक्री जारी करवाकर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया जिस पर वादी मूला व प्रतिवादी पेमा ने पटवारी के साथ मिलीभगत कर मौके की स्थिति के विपरित विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिया। अपीलाधीन एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय डिक्री जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि उतरदाता संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश वाद में अपीलांट व उतरदाता संख्या 02 को वादी पक्षकार बनाते हुऐ वाद पेश किया गया जबकि वाद के साथ पेश वकालतनामा उतरदाता संख्या 01 अकेले के नाम का है तथा वकालतनामा पर उतरदाता संख्या 01 मूलाराम अकेले का अंगुष्ठ निशान है दावा पर भी मूलाराम अकेले का अगुष्ठ निशान है। उतरदाता संख्या 01 ने अपीलांट के साथ धोखाधड़ी करते हुऐ अपीलांट की बिना जानकारी व बिना सहमति के गलत रूप से वादी पक्षकार बनाकर वाद पेश करवा दिया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित किया गया है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 की नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर जाकर तैयार नहीं किया गया है जबकि विभाजन के मामले में तहसीलदार स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करना आवश्यक है। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार तैयार नहीं किया गया है तथा अपीलांट का मौके पर स्थित कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव में नहीं दर्शाया गया है जिस कारण अपीलांट को खसरा सख्या 1676 में सड़क पर भूमि नहीं दी गई तथा सड़क मार्ग से वंचित रखा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। यह बंटवारा By Metes & Bounds के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। अपीलांट का सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। वर्तमान अरसा 20–25 दिन पूर्व उतरदातागण द्वारा अपीलांट कब्जे काष्त में हस्तक्षेप किया जाने लगा तथा अपीलांट को जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत हुऐ जिस पर अपीलांट ने ऐसा करने का कारण पूछा तो उतरदातागण ने बतया कि वादग्रस्त भूमि का बंअवाड़ा पूर्व में हो चुका है। अपीलांट को अपने हक हकुक संशयप्रद लगे तो अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर आलोच्य निर्णय तथा डिक्री की प्रति मांगी जो तैयार होकर दिनांक 23.04.2018 को प्राप्त हुई जिस पर अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.10.2003 के विरूद्ध अपील दिनांक 30.04.2018 को पेश की गई जो तकरीबन 15 साल बाद पेश की गई। जो

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

की अत्यधिक विलंब से पेश की गई। तथा तकरीबन 15 साल के विलंब को Explain नहीं किया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया जबकि अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन के देरी का विवरण नहीं बताया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील संख्या 03/2004 बअनवान पेमा वगै. बनाम मूला वगै. पेश हुई जिसमें दिनांक 28.05.2005 को निर्णय पारित करते हुए अपील खारिज की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखा गया। न्यायालय हाजा द्वारा एक बार अपील में सुनवाई हो चुकी है न्यायालय पुनः सुनना उचित नहीं समझता है। यदि अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से आहत है तो सक्षम स्तर पर चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। उपरोक्त विवेचन एवं रिकॉर्ड के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 100/2003 बअनवान मूला वगैरा बनाम पेमा वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.10.2003 को यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

21/10/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 21.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/10/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner